हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग
(नियुक्ति–IV)

संख्याः कार्मिक(नियुक्ति–IV)–बी(15)–01/2014 तारीख शिमला–2, 06–09–2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः कार्मिक(ए–IV)–ए(3)–3/1999 तारीख 8 मार्च, 2000 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, संयुक्त सचिव (हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं) वर्ग–। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, संयुक्त सचिव (हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं) वर्ग–I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2018 है । (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
उपबन्ध–''क'' का संशोधन ।	2	कार्मिक विभाग, संयुक्त सचिव (हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं) वर्ग–I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 के स्तम्भ संख्या 11, के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः– "उप सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उप सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका उप सचिव और अवर सचिव के रूप में संयुक्ततः चार वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा,यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चार वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें उप सचिव के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी, दोनों के न होने पर उप सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी के रूप में संयुक्ततः सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें उप सचिव के रूप में एक वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति /प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को

		अपनाने के पश्चात् की गई थी: परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे: परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी: परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे। **स्पष्टीकरण:–** अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों। (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी : परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी"।

आदेश द्वारा,

विनीत चौधरी
मुख्य सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सख्याः यथोपरि।   तारीख शिमला–2   06–09–2018

पृष्ठांकन प्रशासनिक विभाग अंग्रेजी प्रारूप के अनुसार कृपया स्वयं टंकित कर लें:–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–2
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश,शिमला–2 ।
3. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–2
4. सचिव, हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग,शिमला–2 को उनके पत्र संख्या 1–5 / 86 –पीएससी–पार्ट दिनांक 31–5–18 क संर्दभ में सूचनार्थ ।
5. महालेखाकार, लेखा परीक्षा,हिमाचल प्रदेश शिमला–3
6. वरिष्ठ उप महालेखाकार, लेखा हकदारी, हिमाचल प्रदेश,शिमला–3
7. अतिरक्ति सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–2
8. अतिरक्ति विधि परामर्शी एवं अतिरक्ति सचिव (परामर्श) हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–2
9. संयुक्त विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि–राजभाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार ।
10. उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (परामर्श) हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–2
11. अनुभाग अधिकारी वित्त-बजट/कार्मिक-III, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-171002 ।
12. गार्ड फाइल/अतिरिक्त प्रतियां ।

6/9/18

(अमरजीत सिंह)
विशेष सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

00000

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(A-IV)-B(15)-1/2014 dated 6th September, 2018, as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel
Appointment-IV
******

No.Per(A-IV)-B(15)-1/2014, dated Shimla-171002, the 6th September, 2018.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Department of Personnel, Joint Secretary (HPSS) Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2000, notified vide this Department's Notification No. Per(A-IV)-A(3)-3/1999, dated 8th March, 2000, namely:-

Short title and commencement.	1. (1)	These rules may be called the Department of Personnel, Joint Secretary (HPSS) Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion (First Amendment), Rules, 2018.
	(2)	These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.
Amendment in Annexure-I	2.	In the Department of Personnel, Joint Secretary (HPSS) Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 1997, for the provision against Column No. 11, the following shall be substituted, namely:- "By promotion from amongst the Deputy Secretaries possessing 03 years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Deputy Secretaries possessing 04 years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, combined as Deputy Secretary and Under Secretary which shall also include essential service of 02 years as Deputy Secretary, failing both by promotion from amongst the Deputy Secretaries possessing 07 years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, combined as Deputy Secretary, Under Secretary and Section Officer, which shall also include essential service of 01 year as Deputy Secretary." (1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of

		selection in accordance with the provisions of R&P Rules: Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration: Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less: Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in the Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder. (2) Similarly, in all cases of confirmation adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R& P Rules: Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."

By Order

Vineet Chawdhry
Chief Secretary to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst.No. As above. Dated Shimla-171002, the 6th September, 2018.

Copy forwarded to:-

1. All the Additional Chief Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. All the Pr. Secretary/ Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. The Additional Chief Secretary-cum-Principal to Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla-2.
4. The Secretary, HP Public Service Commission, Nigam Vihar, Shimla-2.
5. The Accountant General (Audit), Himachal Pradesh, Shimla-171003.
6. The Sr. Dy. Accountant General (A&E), HP, Shimla-171003.
7. The Special Secretary (GAD) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2 in compliance to approval of item No. 10 by the CMM in its meeting held on 06.06.2018.
8. The Addl. LR-cum- Additional Secretary (Law) to the Govt. of HP, Shimla-2.
9. The JLR-cum-Joint Secretary (Law-OL) to the Govt. of HP, Shimla-2.
10. The Sr. Law Officer-I, Law Department, H.P. Sectt., Shimla-171002.
11. The Section Officers, Finance-Budget/DoP(A-III), HP Sectt., Shimla-2.
12. Guard file /spare copies.

6/9/18

(Amarjeet Singh)

Special Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh.

*****